वित्त निर्देश 14/2011

छत्तीसगढ़ शासन
वित्त विभाग
दाऊ कल्याणसिंह भवन, मंत्रालय-रायपुर

क्रमांक 119 /217/11/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल, 2011

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, बिलासपुर
समस्त विभागाध्यक्ष
समस्त संभागीय आयुक्त
समस्त जिलाध्यक्ष,
छत्तीसगढ़ ।

विषयः- तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा ।
संदर्भः- वित्त विभाग का ज्ञापन क्रमांक 210/277/वित्त/नियम/चार/2008 दिनांक 01 अक्टूबर,2008

विषयांतर्गत संदर्भित परिपत्र द्वारा राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को स्वयं एवं परिवार के सदस्यों के बाह्य रोगी के रूप में कराये गये उपचार के एवज में वर्तमान में लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम के अंतर्गत देय प्रतिपूर्ति के स्थान पर रूपये 100/-प्रतिमाह की दर से चिकित्सा भत्ता स्वीकृत करने के आदेश जारी किया गया है । यह सुविधा वैकल्पिक है तथा इस हेतु कर्मचारियों को संलग्न प्रपत्र में दो माह के भीतर विकल्प देना वांछनीय था । दो माह के भीतर विकल्प न देने पर वर्तमान में लागू चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम यथावत लागू रहेगा ।

2/ राज्य शासन को कुछ ऐसे प्रस्ताव प्राप्त हुए है जिसमें शासकीय सेवक द्वारा पर्याप्त जानकारी के बिना विकल्प दिया गया । अब उन्हें उक्त विकल्प अलाभकारी प्रतीत होने के कारण विकल्प वापस लेने की सहमति चाही गई है ।

3/ राज्य शासन द्वारा विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि राज्य के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को चिकित्सा भत्ता सुविधा के लिए एकबार पुनः विकल्प

देने या पूर्व में दिया गया विकल्प परिवर्तन करने हेतु दिनांक 30 जून, 2011 तक छूट दी जाय । उक्त पुनरीक्षित विकल्प का लाभ विकल्प देने की तिथि से प्राप्त होगा एवं पूर्व तिथि के दावों पर इस विकल्प के आधार पर कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

<u>संलग्न-विकल्प का प्रारूप</u>

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(एस.के. चक्रवर्ती)
उप सचिव
छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

पृ.क्रमांक 120 /217/11/वित्त/नियम/चार, रायपुर, दिनांक 29 अप्रैल, 2011

प्रतिलिपि:-

1. राज्यपाल के सचिव, राजभवन, रायपुर
2. सचिव, छत्तीसगढ़ विधानसभा सचिवालय
3. सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, रायपुर
4. रजिस्ट्रार जनरल/महाधिवक्ता/उपमहाधिवक्ता, छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर
5. सचिव, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग /मानवाधिकार आयोग / राज्य निर्वाचन आयोग / लोक आयोग, रायपुर
6. निज सचिव/निज सहायक, मंत्री/राज्यमंत्री, छत्तीसगढ़, रायपुर
7 महालेखाकार,छत्तीसगढ़, रायपुर
8. मुख्य सचिव के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
9. प्रमुख सचिव वित्त के स्टाफ आफीसर, मंत्रालय, रायपुर
10. आयुक्त जनसंपर्क संचालनालय, रायपुर
11. आवासीय आयुक्त, छत्तीसगढ़ भवन, नई दिल्ली
12. राज्य सूचना आयुक्त, निर्मल छाया भवन, शंकर नगर, रायपुर
13. समस्त सचिव/विशेष सचिव/संयुक्त सचिव/उप सचिव/अवर सचिव/शोध अधिकारी/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी एवं समस्त शाखा, वित्त विभाग, मंत्रालय,रायपुर
14. आयुक्त, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़, रायपुर
15. मुख्य लेखाधिकारी, मंत्रालय, रायपुर
16. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष,लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़
17. समस्त कोषालय अधिकारी, जिला/सिटी कोषालय, छत्तीसगढ़
18. समस्त प्राचार्य, लेखा प्रशिक्षण शाला, रायपुर/बिलासपुर, छत्तीसगढ़
19. संचालक, शासकीय लेखन सामग्री एवं मुद्रण, रायपुर
20. समस्त मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघ, छत्तीसगढ़
21. प्रेस अधिकारी, प्रेस प्रकोष्ठ, मंत्रालय, रायपुर ।
22. संचालक, वित्तीय प्रबंध एवं सूचना प्रणाली, रायपुर को वित्त विभाग की बेबसाइट www.cgfinance.nic.in में अपलोड करने हेतु ।

की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

(हस्ताक्षर)

अवर सचिव

छत्तीसगढ़ शासन, वित्त विभाग

NayakD:\Documents and Settings\RAJESH\My Documents\VitNerdesh\pdf_2011\Doc File\14.doc

<u>विकल्प का प्रारूप</u>

मैं...एतद्द्वारा बाह्य रोगी के रूप में कराई गई चिकित्सा हेतु वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक ....दिनांक......................द्वारा स्वीकृत चिकित्सा भत्ता का चयन करता/करती हूँ ।

या

मैं...एतद्द्वारा बाह्य रोगी के रूप में कराई गई चिकित्सा हेतु वर्तमान चिकित्सा प्रतिपूर्ति नियम में बने रहने का चयन करता/करती हूँ ।

स्थान :

दिनांक :

हस्ताक्षर

नाम..................................

पदनाम..............................

कार्यालय जिसमें नियोजित है....

(जो लागू न हो उसे काट दीजिए)